न्यायालय,अपर समाहर्ता, रॉची।

विविध अपील 10 आर 15/07–08

पुनई उरॉव — अपीलकर्ता

बनाम

बिरसा भगत — प्रतिवादी

आदेश

13
18-01-2008

यह अपील अनुमति वाद संख्या 2030 आर 8/05–06 में उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सदर रॉची द्वारा दिनांक 29.03.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन की बिक्री की अनुमति हेतु अपीलकर्ता द्वारा दाखिल आवेदन आंशिक रुप से स्वीकृत किया है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
हरिहरपुर	91	2192	09 डिसमिल
		2193	16 डिसमिल
		कुल	25 डिसमिल

निम्न न्यायालय ने प्लॉट नं. 2192 रकबा 9 डिसमिल जमीन की बिक्री हेतु अनुमति अस्वीकृत करते हुए प्लॉट नं. 2193 रकबा 16 डिसमिल से संबंधित आवेदन स्वीकृत किया है।

अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि विवादित जमीन खतियान में धुर्वा उरॉव के नाम दर्ज है। अपीलकर्ता उनके वंशज हैं। निम्न न्यायालय में प्रतिवादी ने आपत्ति दायर किया जिसकी सुनवाई के बाद प्लॉट नं. 2193 रकबा 16 डिसमिल जमीन की बिक्री हेमु अनुमति दी गयी तथा प्लॉट नं. 2192 रकबा 9 डिसमिल पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। प्रतिवादी का एकमात्र दावा यह है कि उनके पूर्वज हरना उरॉव का नाम खतियान में बेयानी बकब्जे दर्ज है। उनका यह भी दावा है कि वह टाना भगत समुदाय के स्वतंत्रता सेनानी हैं। परन्तु प्रतिवादी का नाम न तो जमींदारी अभिलेख में और न ही सरकारी राजस्व कागजातों में कभी दर्ज हुआ। सिर्फ टाना

भगत के नाम पर आपत्ति स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में आदेश पारित किया।

उभय पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल किया गया है। अपीलकर्ता के लिखित बहस में अपील आवेदन के तथ्यों को ही दुहराया गया है। प्रतिवादी के लिखित बहस में कहा गया है कि विवादित जमीन खतियान में धुर्वा उरॉव के नाम दर्ज है जिनके तीन पुत्र सहरु, जीतु एवं लोथो थे। सहरु के एकमात्र संतान लोदा उरॉव की नाबल्द मृत्यु हो गयी। जीतु उरॉव के दो पुत्र जॉन एवं पतरस हुए। लोथो उरॉव का एकमात्र संतान धुर्वा उरॉव है। धुर्वा उरॉव ने खाता नं. 91 प्लॉट नं. 2192 में 9 डिसमिल जमीन 1940 में हसमा भगत को बिक्री किया था। हसमा भगत के पुत्र भण्डारी उरॉव थे। वर्तमान प्रतिवादी भण्डारी उरॉव के पुत्र हैं एवं शांतिपूर्ण दखलकार हैं। चुंकि हसमा भगत टाना भगत समुदाय के स्वतंत्रता सेनानी थे इसलिए जमांदार को लगान नहीं दे पाये जिसके कारण उनका नाम राजस्व कागजातों में नहीं दर्ज हो पाया।

इस अभिलेख में उपलब्ध सारे कागजात और उभय पक्षों के बहस के आलोक में यह निष्कर्ष निकलता है कि धूर्वा उरॉव ने 1944 में ही 9 डी0 जमीन का बिक्री कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में उस अंश का हस्तांतरण की अनुमति देना संभव नही है।

अतः अनुमति वाद में दिया गया आदेश सही है। यह अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

दिनांक–18.01.2008

18/1/08

अपर समाहर्त्ता,

रॉची।